भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 2820

17 मार्च, 2026 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

महाराष्ट्र में पीएम-एबीएचआईएम की प्रगति

2820. # श्री बृज लालः
श्री अशोकराव शंकरराव चव्हाणः
श्री बाबूभाई जेसंगभाई देसाईः
डा. सुमेर सिंह सोलंकीः
श्री मिथलेश कुमारः
श्री उज्ज्वल देवराव निकमः
श्री नारायण कोरागप्पाः
श्री सुभाष बरालाः
डा. मेधा विश्राम कुलकर्णीः
डा. परमार जशवंतसिंह सालमसिंहः
श्री लहर सिंह सिरोयाः
श्री सदानन्द महालू शेट तानवड़ेः

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (पीएम-एबीएचआईएम) की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं;

(ख) इस योजना के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार स्वीकृत निधियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) पीएम-एबीएचआईएम के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है;

(घ) इस योजना के अंतर्गत महाराष्ट्र सहित स्थापित एकीकृत सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं, ब्लॉक सार्वजनिक स्वास्थ्य इकाइयों और गहन चिकित्सा ब्लॉकों की विशेषताएं क्या हैं;

(ङ) प्रस्तावित एकीकृत जन स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं (आईपीएचएल) और गहन चिकित्सा ब्लॉकों (सीसीबी) द्वारा जनता को प्रदान की जाने वाली सुविधाओं का ब्यौरा क्या है; और

(च) महाराष्ट्र में जिला स्तरीय तैयारियों और गहन चिकित्सा क्षमता को इन सुविधाओं से किस प्रकार सुदृढ़ किया जाना अपेक्षित है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (च): प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (पीएम-एबीएचआईएम) एक केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) है जिसमें केंद्रीय क्षेत्र के कुछ घटक (सीएस) शामिल हैं, जिसका परिव्यय योजना अवधि (वित्तीय वर्ष 2021-22 से वित्तीय वर्ष 2025-26) के लिए 64,180 करोड़ रुपये है।

इस योजना में स्वास्थ्य अनुसंधान सहित स्वास्थ्य सेवा प्रदायगी और जन स्वास्थ्य कार्रवाई को एकीकृत और सुदृढ़ करने के लिए नए सुधारों की परिकल्पना की गई है, ताकि समुदाय ऐसी वैश्विक महामारियों अथवा स्वास्थ्य संबंधी संकटों के प्रबंधन में आत्मनिर्भर बन सकें। इस योजना के अंतर्गत उपायों का उद्देश्य स्वास्थ्य प्रणालियों और संस्थाओं को सुदृढ़ करना है ताकि प्राथमिक, माध्यमिक और विशिष्ट सभी स्तरों पर निरंतर परिचर्या प्रदान की जा सके, साथ ही स्वास्थ्य प्रणालियों को वर्तमान और भावी वैश्विक महामारियों और आपदाओं का प्रभावी रूप से सामना करने के लिए तैयार किया जा सके।

पीएम-एबीएचआईएम का उद्देश्य प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर सार्वजनिक स्वास्थ्य अवसंरचना को सुदृढ़ करने; उभरने वाले और पुनःउभरने वाले रोगों की निगरानी, निदान और अनुसंधान क्षमता को बढ़ाना; एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात स्थितियों की प्रभावी ढंग से सामना करने में एक सक्षम, लचीली स्वास्थ्य प्रणाली तैयार करना है।

इसके अतिरिक्त, पीएम-एबीएचआईएम के सीएसएस घटक के अंतर्गत आईपीएचएल और सीसीबी की विशेषताओं से संबंधित विस्तृत विवरण नीचे दिए गए यूआरएल में उपलब्ध पीएम- एबीएचआईएम के परिचालन दिशानिर्देशों में दिए गए हैं।

https://mohfw.gov.in/sites/default/files/Operational%20Guideline%20%28CSS%20Component%29_PM-ABHIM.pdf

इस योजना के सीएसएस घटक के तहत, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 5 वर्षीय अवधि अर्थात् वित्तीय वर्ष 2021-22 से वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु जिला अस्पताल/सरकारी मेडिकल कॉलेज स्तर पर 9,519 भवन रहित एसएचसी-आयुष्मान आरोग्य मंदिर, 5,456 शहरी-आयुष्मान आरोग्य मंदिर, 2,151 ब्लॉक जन स्वास्थ्य इकाईयों (बीपीएचयू), जिला स्तर पर 744 एकीकृत जन स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं (आईपीएचएल) और 621 क्रिटिकल केयर ब्लॉकों (सीसीबी) के निर्माण/सुदृढ़ीकरण के लिए 32,928.82 करोड़ रुपये का प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2022-23 से वित्तीय वर्ष 2024-25 तक पीएम-एबीएचआईएम के अंतर्गत केंद्रीय निर्गत और व्यय का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण **अनुलग्नक-I** में दिया गया है।

पीएम-एबीएचआईएम के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार प्रगति का विवरण **अनुलग्नक-II** में दिया गया है।

अनुलग्नक-I

वित्तीय वर्ष **2022-23** से वित्तीय वर्ष **2024-25** तक प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार केंद्रीय निर्गत एवं व्यय

(करोड़ रु. में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2022-23		2023-24		2024-25	
		केंद्रीय निर्गत	व्यय	केंद्रीय निर्गत	व्यय	केंद्रीय निर्गत	व्यय
1	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	1.11	0.00	0.00	0.00	1.05	1.57
2	आंध्र प्रदेश	15.76	6.25	35.78	28.85	39.07	65.16
3	अरुणाचल प्रदेश	0.10	0.00	8.83	2.25	1.05	2.44
4	असम	2.26	1.16	91.45	68.45	159.61	177.34
5	बिहार	7.17	0.00	0.00	50.69	15.92	185.61
6	चंडीगढ़	4.79	1.73	10.38	5.83	5.13	6.34
7	छत्तीसगढ़	1.34	11.01	32.23	19.64	18.63	31.05
8	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	0.24	0.00	0.28	0.21	0.53	0.51
9	दिल्ली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	गोवा	0.06	0.00	3.75	0.00	0.10	0.21
11	गुजरात	29.54	32.24	46.04	56.13	79.38	146.63
12	हरियाणा	1.31	0.00	17.67	16.63	36.00	88.63
13	हिमाचल प्रदेश	28.05	9.98	15.69	15.27	44.81	52.92
14	जम्मू एवं कश्मीर	1.00	0.00	44.01	36.67	60.44	63.71
15	झारखंड	183.04	240.87	102.27	454.05	65.27	289.16
16	कर्नाटक	37.10	18.75	100.57	104.47	118.91	198.19
17	केरल	24.89	4.72	0.00	36.66	24.58	36.15
18	लद्दाख	0.00	0.00	0.62	0.31	0.62	0.62
19	लक्षद्वीप	0.63	0.00	0.00	0.07	0.00	0.51
20	मध्य प्रदेश	98.70	99.43	228.52	300.93	63.19	295.14
21	महाराष्ट्र	4.07	0.00	31.76	34.47	65.48	86.82
22	मणिपुर	10.92	4.56	13.78	16.89	5.74	21.20
23	मेघालय	43.28	8.80	4.42	28.02	10.50	27.34
24	मिजोरम	1.52	0.27	4.52	1.32	3.82	7.27
25	नागालैंड	0.08	0.00	4.42	0.60	0.00	1.71
26	ओडिशा	211.46	258.55	171.58	423.43	149.05	248.42
27	पुदुचेरी	0.19	0.62	2.67	2.88	2.50	4.28
28	पंजाब	24.16	0.00	0.00	2.07	8.92	45.33
29	राजस्थान	83.59	108.50	173.06	280.43	157.76	262.93
30	सिक्किम	0.75	0.26	3.88	2.05	1.67	3.74
31	तमिलनाडु	150.42	183.35	279.36	389.37	224.99	512.33
32	तेलंगाना	53.88	83.75	95.21	141.73	208.82	348.04
33	त्रिपुरा	0.90	0.38	2.48	1.43	2.12	2.94
34	उत्तर प्रदेश	173.71	254.04	247.96	252.69	400.95	544.74
35	उत्तराखंड	32.31	1.60	0.00	16.35	26.89	31.07
36	पश्चिम बंगाल	0.00	9.75	30.91	49.78	78.40	92.35

नोट:

1. उपरोक्त जारी की गई राशियाँ केंद्र सरकार के अनुदानों से संबंधित हैं और इनमें राज्य सरकार का अंशदान शामिल नहीं है।
2. व्यय में केंद्र सरकार द्वारा जारी की गई राशि, राज्य सरकार द्वारा जारी की गई राशि और वर्ष के प्रारंभ में शेष बची राशि का व्यय शामिल है। व्यय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रस्तुत किए गए पूर्व लेखा रिपोर्ट (एफएमआर) के अनुसार है और यह अनंतिम है।

अनुलग्नक-II

I. भवन रहित-आयुष्मान आरोग्य मंदिर (उप-केंद्र - आयुष्मान आरोग्य मंदिर)

क्र.सं.	**राज्य**	**अनुमोदित इकाई**
1	राजस्थान	**1112**
2	झारखंड	**893**
3	मणिपुर	**64**
4	उत्तर प्रदेश	**1670**
5	असम	**768**
6	ओडिशा	**604**
7	पश्चिम बंगाल	**385**
8	मेघालय	**251**
9	बिहार	**2546**
10	आंध्र प्रदेश	**696**
11	कर्नाटक	**530**
	कुल	**9519**

II. शहरी- आयुष्मान आरोग्य मंदिर (यू-एचडब्ल्यूसी)

क्र.सं.	राज्य	अनुमोदित इकाई
1	आंध्र प्रदेश	45
2	चंडीगढ़	19
3	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	4
4	गुजरात	410
5	मिजोरम	1
6	ओडिशा	140
7	तमिलनाडु	708
8	तेलंगाना	500
9	कर्नाटक	817
10	पुदुचेरी	32
11	जम्मू एवं कश्मीर	79
12	राजस्थान	639
13	उत्तर प्रदेश	674
14	हिमाचल प्रदेश	38
15	दिल्ली	1139
16	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	4
17	मणिपुर	3
18	पश्चिम बंगाल	204
	कुल	5456

III. ब्लॉक जन स्वास्थ्य इकाइयाँ (बीएचपीएचयू)

क्र.सं.	**राज्य**	**अनुमोदित इकाई**
1	छत्तीसगढ	91
2	जम्मू एवं कश्मीर	287
3	मध्य प्रदेश	196
4	राजस्थान	184
5	ओडिशा	197
6	उत्तराखंड	78
7	उत्तर प्रदेश	515
8	हिमाचल प्रदेश	73
9	असम	207
10	झारखंड	165
11	बिहार	158
	कुल	**2151**

IV. एकीकृत सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशालाएँ (आईपीएचएल)

क्र.सं.	राज्य	अनुमोदित इकाई
1	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	3
2	आंध्र प्रदेश	26
3	बिहार	38
4	चंडीगढ़	1
5	छत्तीसगढ	28
6	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	3
7	दिल्ली	11
8	गोवा	2
9	हरियाणा	22
10	जम्मू एवं कश्मीर	20
11	कर्नाटक	31
12	लद्दाख	2
13	लक्षद्वीप	1
14	मध्य प्रदेश	55
15	मणिपुर	15
16	मेघालय	10
17	नागालैंड	11
18	पुदुचेरी	4
19	पंजाब	22
20	राजस्थान	33
21	सिक्किम	3
22	तमिलनाडु	38
23	तेलंगाना	33
24	त्रिपुरा	7
25	महाराष्ट्र	36
26	हिमाचल प्रदेश	12
27	मिजोरम	10
28	उत्तर प्रदेश	75
29	केरल	14
30	गुजरात	33
31	पश्चिम बंगाल	23
32	ओडिशा	30
33	झारखंड	24

क्र.सं.	राज्य	अनुमोदित इकाई
34	असम	33
35	अरुणाचल प्रदेश	22
36	उत्तराखंड	13
	कुल	744

V. गहन परिचर्या अस्पताल ब्लॉक (सीसीबी)

क्र.सं.	**राज्य**	**अनुमोदित इकाई**
1	आंध्र प्रदेश	24
2	बिहार	38
3	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	1
4	मध्य प्रदेश	50
5	महाराष्ट्र	36
6	मणिपुर	2
7	मेघालय	3
8	मिजोरम	1
9	नगालैंड	1
10	पंजाब	22
11	राजस्थान	33
12	सिक्किम	1
13	तमिलनाडु	37
14	त्रिपुरा	1
15	तेलंगाना	31
16	छत्तीसगढ	23
17	झारखंड	23
18	पश्चिम बंगाल	22
19	जम्मू एवं कश्मीर	10
20	कर्नाटक	34
21	हिमाचल प्रदेश	8
22	गुजरात	32
23	उत्तर प्रदेश	74
24	ओडिशा	28
25	उत्तराखंड	5
26	पुदुचेरी	4
27	केरल	14
28	असम	27
29	हरियाणा	22
30	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	1
31	अरुणाचल प्रदेश	1
32	चंडीगढ़	1
33	दिल्ली	9
34	गोवा	2
	कुल	621
